

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक सं०/मान्यता/2753-501

/2014-15

दिनांक - 10.02.18

प्रबन्धक,

.....
.....
.....
.....

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 05.01.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं 04.11.2014 दिनांक 01.02.2015 से दिनांक 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 3 (अथवा 4) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्ताररणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षण को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा,
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा,
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी,
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा,
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

Manager

New Modern Children School
Dullahapur, Ghazipur

Principal

New Modern Children School
Dullahapur, Ghazipur

- (vi) अध्यापकों को भती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे,
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- | | |
|---|----------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | 2590 वर्ग मी. |
| कुल निर्मित क्षेत्र | 1500 वर्ग मी. |
| क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल | 6000 वर्ग मी. |
| कक्षाओं की संख्या | 21 |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष | 01 |
| बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | 08 (2001-2002) |
| पेयजल सुविधा | 01 |
| मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई | 01 |
| बाधारहित पहुँच | 01 |
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता 21
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 46 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

पृ०सं०/बे०शि०/

/2014-15 दिनांक वही

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, वाराणसी।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद - गाजीपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

प्रिन्सिपल
Manager
New Modern Children School
Dullahapur, Ghazipur

Principal
New Modern Children School
Dullahapur, Ghazipur